(वाद सं0.-1543/4/22/202)

03-05-2023

प्रसंगाधीन मामला, उषा देवी, सेवानिवृत्त सफाई कर्मी, नगर निगम, मुंगेर के दिनांक–31.12.2014 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम् वेतनमान की अन्तर राशि व ए0सी0पी0, का लाभ, कटौती की गई भविष्य निधि राशि तथा पेंशन का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **नगर आयुक्त, नगर निगम मुंगेर** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को सेवानिवृत्ति के उपरान्त **"उन्हें सेवान्त लाभ अंतगत उपादान की राशि मो0–4,07,121/– रू0, उपार्जित अवकाश की राशि मो0–1,53,801/–रू0, वर्ष– 01.01.1990 से 30.06.1993 तक का चतुर्थ का अंतर वेतन राशि मो0–19,130/–रू0 तथा सभी सेवानिवृत कर्मचारियों के साथ उन्हें भी छठा वेतनमान का अंतर वेतन अप्रैल 2007 से मार्च 2008 तक कुल 12 माह का भुगतान किया जा चुका है वर्तमान में पेंशन देय नहीं हैं। चूंकि कर्मचारी संध द्वारा C.W.J.C No.2041/2018 में पेंशन हेतु वाद दायर किया गया है, जो विचाराधीन है।** "

अब जबकि परिवादी को तत्समय प्रवृत अनुमान्य सेवान्त लाभों का भुगतान किया जा चुका है तथा पेंशन से संबंधित विषय **माननीय न्यायालय में विचाराधीन है** तो एसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

नगर आयुक्त, नगर निगम मुंगेर के प्रतिवेदन को स्वीकार करत हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर से **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **नगर आयुक्त, नगर निगम मुंगेर** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ–08–07 / प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

निबंधक